न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2023 G.C.M.S. No. 2023/292 दर्ज दिनांक : 22.12.2023

अपीलार्थिगण:

1. घेमा पुत्र छगनाराम
2. दरजाराम पुत्र नरसाराम, जातियान पुरोहित, निवासी रोड़ा, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मनजी पुत्र मकना, जाति पुरोहित, निवासी रोड़ा, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।
2. जिला कलक्टर महोदय, जालोर।
3. भूमि तहसीलदार, रानीवाड़ा।

एवं

राजस्व अपील संख्या : 20/2024 G.C.M.S. No. 2024/99 दर्ज दिनांक : 30.04.2024

अपीलार्थी:

1. तहसीलदार रानीवाड़ा, भूमिधारी राज्य सरकार।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. मनजी पुत्र मकनाराम, जाति पुरोहित, निवासी रोड़ा, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा जिला जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2006 बअनवान मनजी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार—

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, श्री मुकेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट, अपील संख्या 65/2023
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1, अपील संख्या 20/2024 एवं 65/2023
3. विद्वान राजकीय पैरोकार, अपीलांट अपील संख्या 20/2024 व रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 अपील संख्या 65/2023

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा जिला जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2006 बअनवान मनजी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 223 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिनियम 1955 के अंतर्गत दो अपील प्रस्तुत हुई। प्रथम अपील संख्या 65/2023 बअनवान घेमा वगैरह बनाम मनजी वगैरह तथा द्वितीय पश्चातवर्ती अपील संख्या 20/2024 बअनवान तहसीलदार रानीवाड़ा बनाम मनजी। उक्त दोनों अपील वस्तुतः एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों अपील को संयोजित की गई तथा दोनों अपील का निर्णयन एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

प्रथम अपील संख्या 65/2023 के अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम रोडा के नवीन खसरा नंबर 76, 78 एवं 79 रकबा क्रमशः 0.75 हैक्टेयर, 0.93 हैक्टेयर एवं 0.49 हैक्टेयर कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबध में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा पूर्व में एक वाद घोषणा के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, उक्त वाद को सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा दिनांक 04.10.2007 को खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक अपील संख्या 62/2007 बअनवान मनजी बनाम सरकार न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 द्वारा खारिज कर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 मनजी द्वारा द्वितीय अपील डिक्री माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि अपील संख्या 211/2019 बअनवान मनजी बनाम सरकार दर्ज की गई, उक्त अपील को माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.02.2021 के द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर पुनः सहायक कलक्टर रानीवाडा को सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः वाद दर्ज रजिस्टर गया एवं जेर अपील निर्णय व डिक्री के द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया गया। वादग्रस्त भूमि राजकीय सरकारी भूमि हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत धारा 15 एवं 19 के संबध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है, ऐसी भूमि के संबंध में धारा 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजकीय भूमि की खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान धारा 19 व 15 में नहीं हैं। धारा 19 के अंतर्गत समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिये खातेदारी प्राप्ति की समय सीमा के अंदर दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेश करने की आवश्यकता नहीं होकर केवल प्रार्थना पत्र पेश करते हुए धारा 19 का उल्लेख करते हुए समय सीमा के अंदर भी प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। वो समय सीमा दावा लाने से पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। इस आधार पर धारा 19 में वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 को पारित की गई। जिसकी नकल अपीलांट द्वारा प्राप्त की गई। उसके बाद एक रेफरेंस की कार्यवाही तैयार करवाकर पेश की गई। उसके बाद मैं काश्तकार होने के कारण खड़ी फसल को काटना आवश्यक था। इसलिए उसमें एक महिना लग गया तथा दीपावली का अवकाश हो गया एवं उसके बाद विधानसभा चुनाव 2023 दिनांक 03.12.2023 को संपन्न हुए। उसके बाद तत्काल अपील तैयार करवाने में 4–5 दिन का समय लगा। दिनांक 07.12.2023 को अपील पेश की जा रही हैं। इस प्रकार उक्त कारणों से विलंब हुआ है। जो माफ किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

पश्चातवर्ती अपील संख्या 20/2024 अपीलांट तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 04.10.2007 को पारित निर्णय में धारा 15 एवं 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने से लेकर सन् 2007 से प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के विचारण एवं सुनवाई के दोरान किसी भी स्तर पर ऐसे विशेष तथ्यों एवं दस्तावेजों का उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम तनकियात के अनुरूप परीक्षित ही नहीं करवाए। जिससे 50 वर्षो का वाद ग्रस्त अपीलाधीन पुराने खसरा नंबरान् 50 मीन एवं 52 मीन से नवीन बने खसरा नंबरान् 76, 77, 78, 79 की कृषि भूमि पर वादी/रेस्पोंडेन्ट के पूर्ववर्ती खातेदार सावती एवं रामा के कब्जे से वादी/रेस्पोंडेन्ट का कब्जा एवं भूमि के बंटवाडे में वादी/रेस्पोंडेन्ट को सरकारी कृषि भूमि कभी बंट करके काश्त कर अवैध अतिक्रमण का हस्तानातरण किया हो, ऐसा कोई मौके की जांच रिपोर्ट बाबत् दस्तावेज लगातार प्रतिकूल कब्जे को साबित करने को वादी/रेस्पोडेन्ट साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि पुराने खसरा नंबर 52 मीन का वाद पत्र में 22 टंकित किया हुआ वाद पत्र निर्णय दिनांक 04.10.2007 व 29.12.2014 के निर्णय पारित होने तक उक्त त्रुटि को संशोधित नहीं किया तथा ऐसे पुराने खसरा नंबरान् में भी उक्त कृषि भूमि सरकारी खाते में दर्ज थीं, तथा आलौच्च निर्णय पारित होने तक भी उक्त कृषि भूमि में से खसरा नंबर 77 रकबा 1.56 हैक्टेर गैर मुमकिन गोचर एवं खसरा नंबर 764/76 रकबा 0.16 हैक्टेर रा.प्रा.वि. मामाजी की ढाणी के रूप मे वर्तमान राजस्व रेकर्डो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में दर्ज हैं, तो संपूर्ण वाद पत्र में दौराने सुनवाई किसी भी पक्षकार के आवश्यक रूप से पक्षकार के रूप में नाम आवश्यक प्रतिवादी के रूप में संयोजित किए बिना ही दावा परीक्षित किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से आलौच्य आदेश पारित पक्षकारों के कुसंयोजन या संयोजित नही करने पर वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा चलने योग्य ही नहीं था, तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् राज्य सरकार द्वार गोचर कृषि भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा प्रस्तुत कर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं करवा सकता हैं, जो विधि द्वारा गोचर, औरण, नदी, रास्ते, तालाब, पहाड़ की प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन होने से ऐसी जमीन पर विधि द्वारा दावा प्रस्तुत करने से बाधित होने से दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते थें। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नही किया कि संवत् 2015 में सांवती व रामा के काश्त को पुराना वादी/रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए आलौच्य आदेश पारित किया जबकि सांवती व रामा के मौजा रोडा के नागरिक होने बाबत् रोडा की मतदाता सूची, पुराने परिवार राशन कार्ड, वाद पत्र में प्रस्तुत नही किए तथा कालान्तर में ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार में पीढी नामा एवं वंश वृक्ष से लगातार उसी तथा कथित अवैध कब्जा करने बाबत् लगातार खसरा परिवर्तनशील दस्तावेज वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत एवं परीक्षित नहीं की गई, तथा वादी/रेस्पोडेन्ट ने ऐसे किसी भी पक्षकार को अपने हक में बंटवाडा करके उक्त सरकारी जमीन उसके बंट में दी जाने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिसे वाद पत्र, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के दौरान किसी भी स्तर पर वादी/रेस्पोडेन्ट न्यायालय श्रीमान् के समक्ष परिक्षित करवाने में पूर्णतया असमर्थ रहा हैं, इसलिए लगातार कब्जा वादी/रेस्पोडेन्ट का ही मौजा रोडा सरकारी कृषि भूमि खसरा नंबर 76, 77, 78, 79 पर होने बाबत् हस्तगत अपीलाधीन पत्रावली में प्रमाणित करने में असमर्थ रहा हैं, तथा वाद पत्र एवं साक्ष्य से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस से खसरा नंबर 77, 78 पर ही अवैध अतिक्रमण होने से ही वादीः रेस्पोडेन्ट अपना कब्जा बाबत् ऐसे अवैध अतिकमी घोषित कर बैदखल कर जुर्माना अदा करने के नाम पर उक्त आलौच्य आदेश पारित हुआ हैं, जबकि खसरा नंबर 76 में सरकारी विद्यालय एवं खसरा नंबर 77 गैर मुमकिन गोचर भूमि होना उक्त निर्णय से पारित हैं, तथा खसरा नंबर 79 बाबत् किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा होना वादीः रेस्पोडेन्ट का किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से लगातार प्रतिकूल कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही नही किया गया, जिससे उक्त वाद पत्र के अभिवचनों से धारा 15 एवं 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् दावा भी विरचित नहीं हैं, ना ही ऐसी कोई समुचित साक्ष्य एवं दावे के अभिवचन तथा दस्तावेजों से कब्जा लगातार होने बाबत् प्रमाणित नही हैं, जबकि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के तहत् बेदखली एवं जुर्माना लगाने से तहसीलदार न्यायालय के द्वारा सरकारी कृषि भूमि से किया जाना वादी/रेस्पोडेन्ट एवं प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य से प्रमाणित हैं, इस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तन्कीयात अनुसार साक्ष्य परीक्षित नहीं की गई तथा इस पर गौर करने में भारी भूल की हैं, इसलिए आलौच्य आदेश निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

दोनों अपील म्याद एवं अपील संख्या 65/2023 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसमें अपीलांट बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन के साथ विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात राजकीय सिवायचक भूमि हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी रेस्पोंडेंट को खातेदारी अधिकार दिए गए हैं। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स का भी कब्जाकाश्त है। जबकि रेस्पोंडेंट्स द्वारा पटवारी से मिलावट कर बिना कब्जे के 91 का प्रकरण बना दिया गया। भूमिधारी द्वारा इस प्रकरण में अपील पेश नहीं की हैं। अतः राजकीय हित में अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अनुमति प्रदान करावें।
3. हमारे विनम्र मत में चूंकि अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात राजकीय सिवायचक भूमि हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी रेस्पोंडेंट्स को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील से वादस्थ भूमि पुनः राजकीय खाते में दर्ज किए जाने की मांग की गई हैं। अतः न्यायहित में अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
4. अपील संख्या 65/2023 के अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 15.12.2023 को लगभग तीन माह के विलंब के पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं तथा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया है। प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि चूंकि अपील संख्या 65/2023 के अपीलांट अपीलाधीन प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं थें। अतः निर्णय दिनांक से ही अपीलांट को उसकी जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती थीं। इसी प्रकार पश्चातवर्ती अपील संख्या 20/2024 के अपीलांट तहसीलदार रानीवाडा द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि माह जुलाई 2023 से चुनावी कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। अतः विलंबकाल माफ फरमावें। हमारे विनम्र मत में चूंकि दोनों अपील में कोई दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर कारित किया जाना भी साबित नहीं हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना आज्ञापक है। अतः दोनों अपील के संबंध में विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

5. अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 विवाद्यक कायम किए गए तथा विवाद्यकवार निर्णय के साथ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः प्रकरण में विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है:—

1. विवाद्यक संख्या 1 — आया वादी वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रोडा के वर्तमान खसरा नंबर 76, 77, 78, 79 रकबा क्रमशः 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.89 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है ?.....................जिम्मे वादी।

उक्त विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थीं। वादी द्वारा वस्तुतः वादग्रस्त आराजीयात जोकि सिवायचक खाता सरकार दर्ज है, पर कब्जे काश्त एवं प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा गया। हमारे विनम्र मत में यह समस्त संदेह से परे व विधिक रूप से स्वीकृत स्थिति है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में महज कब्जेकाश्त या प्रतिकूल धारण के आधार पर अतिक्रमियों को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते एवं वादी द्वारा वांछित अनुतोष मुख्य रूप से एवं सारवान रूप से प्रतिकूल धारण के आधार पर चाहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट व जाहिर हों कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रवृत्त होने की दिनांक से पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से अर्थात संवत 2011 व इसके पूर्व से वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा हों तथा ऐसा कब्जाकाश्त जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार निहित हो सकें। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी8 खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 के मध्य की हैं। जोकि संवत 2011 या इससे पूर्व की नहीं हैं तथा प्रदर्श 8 में भी वादग्रस्त आराजीयात वादी या वादी के पिता के उपयोग-उपभोग या कब्जेकाश्त का अंकन नहीं हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य यथा प्रदर्श 6 व 7 धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस दिनांक 14.09.2005 एवं प्रदर्श 5 दिनांक 09.11.2007 को जारी नोटिस है। प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 3 व 2 नक्शा ट्रेस तथा प्रदर्श 1 वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2060 से 2073 जिसमें उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। प्रदर्श 9 वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता तहसीलदार रानीवाडा को जारी नोटिस तथा प्रदर्श 14 से प्रदर्श 18 वस्तुतः 2005 की अवधि में वादी द्वारा धारा 91 के अंतर्गत अदा किए गए जुर्माने की रसीदें वादी द्वारा हस्तगत वाद दिनांक 05.10.2006 को प्रस्तुत किया गया। अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा वस्तुतः वर्ष 2005 व 2006 की अवधि के धारा 91 के नोटिस एवं इसकी पालना में राजकोष में जमा करवाए गए जुर्माने की रसीदें प्रस्तुत की गई हैं। जिससे यह कतई साबित नहीं होता कि वादी का वादग्रस्त आराजी पर सवंत 2011 या इसके पूर्व से कब्जाकाश्त हों तथा वादी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका हों। अतः प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील/डिक्री/टीए/211/2019/जालोर बअनवान मंजी बनाम राज्य सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 में पारित निर्देश की प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के आलोक में पुनः परीक्षण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें, के संबंध में भी हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 15 व 19 के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादी को खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा न ही वादी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति का संज्ञान लिए बिना एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उक्त तनकीयात किसी भी दृष्टि से साबित नहीं होने के बावजूद वादी का खसरा संख्या 76, 78 व 79 पर संवत 2015 से कब्जा मानते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी पाने का अधिकारी मानते हुए उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित कर कानूनन भूल की हैं। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में वादी उक्त विवाद्यक बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा प्रकट अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. विवाद्यक संख्या 2 – आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?......................जिम्मे वादी।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन के आधार पर उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित किया है। हमारे विनम्र मत में चूंकि विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व निर्णयन से उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित हुआ है तथा वादग्रस्त आराजीयात राजकीय सिवायचक भूमि हैं। जिसमें वादी के कोई अधिकार निहित नहीं माने जा सकते। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत को अपास्त करते हुए इसे वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. विवाद्यक संख्या 3 – आया वादी द्वारा वाद में दिया गया खसरा नंबर 22 मीन का रेकर्ड में उल्लेख नहीं हैं। उक्त खसरा पर वादी का कब्जा संवत 2015 का है, जबकि आरटी एक्ट 1955 में लागू हुआ है। वादी का जागीर पूर्व कब्जा नहीं होने से वाद काबिल खारिज है ?..............................जिम्मे प्रतिवादीगण।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को वादपत्र को आदेश 6 नियम 17 में पारित आदेश द्वारा संशोधित करते हुए 22 मीन के स्थान पर 52 मीन अंकित करवाया जा चुका होने के आधार पर इसे औचित्यहीन अंकित किया गया। हमारे विनम्र मत में यह सही हैं कि प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के पुराने खसरान में से गलत रूप से अंकित 22 मीन के स्थान पर 52 मीन अंकित करवाया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि वादी का खसरा संख्या 52 मीन की आराजी पर भी कभी भी स्वयं का या अपने पिता या पूर्वजों का कब्जाकाश्त नहीं रहा है। संवत 2015 में प्रदर्श 8 अनुसार पदमा, सोमा, धना, हना व दरगा आदि का अंकन है। जिनमें से कोई भी वादी या वादी का पिता नहीं हैं तथा न ही वादी द्वारा इनसे कोई संबंध होना साबित किया है तथा न ही संवत 2015 के उक्त कथित काश्त के अंकन के आधार पर कोई भी अतिक्रमी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी हो सकता है। अतः उक्त विवाद्यक अपीलांट प्रतिवादी के पक्ष में बखूबी साबित होता है। लिहाजा, इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत को अपास्त करते हुए इसे प्रतिवादी अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. विवाद्यक संख्या 4 – आया वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी सरकारी खाते में दर्ज है तथा वादी द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करने पर वादी को धारा 91 के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाही कर बेदखल किया गया है, अतः वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता ?....................जिम्मे प्रतिवादीगण।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादी को खातेदारी अधिकार नहीं देने के संबंध में प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं करने तथा तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित मानते हुए उक्त विवाद्यक आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई हैं। हमारे विनम्र मत में विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि चूंकि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे काश्त के रूप में धारा 91 के नोटिस व रसीद आदि प्रस्तुत की गई। जो वर्ष 2005 व 2006 से संबंधित है तथा वादी के नाम से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी होने का यह तात्पर्य नहीं हैं कि वादी ऐसी आराजी में कोई हक या अधिकार रखता हों या खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हों। बल्कि ऐसा व्यक्ति महज विधि उल्लंघनकर्ता एवं अतिचारी होता है। जो काबिल बेदखली होता है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा धारा 91 के अंतर्गत वादी के विरूद्ध विधिनुरूप कार्यवाही की गई। अतः वादी खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता तथा उक्त विवाद्यक पूर्ण रूप से वादी के पक्ष में साबित होता है। लिहाजा, इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध व अपीलांट प्रतिवादी सरकार के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

5. विवाद्यक संख्या 5 – आया कि वादी वादग्रस्त आराजी मौजा रोडा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 76, 77, 78, 79 रकबा क्रमशः 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.89 हैक्टेयर आराजी की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत के प्राप्त करने का अधिकारी है ?....................जिम्मे वादी।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के निर्णयन में किया गया विवेचन व अभिमत हूबहू प्रकट किया जाना हम उचित समझते हैं। जो निम्नानुसार है:–

"वादी वादग्रस्त आराजी मौजा रोडा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 रकबा कमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जूमले रकबा 3.89 हैक्टेयर की आराजी की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत प्राप्त करने के वादी अधिकारी होने के संबंध में वादी द्वारा पेश खसरा गिरदावरी सवंत 2012 से 2015 में वादी के रिश्तेदार पदमा वल्द सांवती, सोना वल्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रामा, धन्ना वल्द रामा कौम पुरोहित का कब्जा काश्त रहा है। मकना एवं पदमा के पिता सगे भाई एवं एक ही दादा के पौत्र एवं वंशज है। वादी के काकाई भाईयों के खेतों के संबंधी विवाद हो, ऐसा कोई ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं हैं। वादी की आराजी वाद में प्रस्तुत खसरा नम्बरान के कब्जे काश्त के संबंध में धारा 15 व 19 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विश्लेषण किया गया। वादी व इनके पूर्वजों का कब्जा जागीरी के पहले का होना जाहिर किया जा रहा है। परन्तु वादी ग्रामीण काश्तकार व अनपढ़ होने से जागीरी के समय से छुटे आराजी के खसरों के खातेदारी प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधि भी निर्धारित की गई। परन्तु उसका लाभ वादी नहीं ले सका। परन्तु कब्जा भूमिधारी तहसीलदार अपने पक्ष के गवाहों में भी कब्जा वादी का बताया गया है एवं वादी के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही जरूर पहले की गई। लेकिन भौतिक रूप से वादी को बेदखल किया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में भूमिधारी द्वारा पेश नहीं किया गया है। जिसके आधार पर वादी का कब्जा काश्त काश्त विवादित आराजी पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसगंत है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।"

हमारे विनम्र मत में वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जेकाश्त के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत सबसे पुराना साक्ष्य प्रदर्श 8 संवत 2012 से 2015 की वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी हैं। जिसमें संवत 2012, 2013 व 2014 में वादग्रस्त आराजीयात पड़त अंकित है तथा संवत 2015 में पदमा वल्द सावंती, सोना वल्द रामा, धना वल्द रामा, हना वल्द रामा, दरगा वल्द रूघनाथ को गैर बापी के रूप में अंकित किया गया है। वादी द्वारा इसके पश्चात का वर्ष 2005 तक की अवधि के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं तथा उक्त वर्ष 2015 में अंकित गैर बापीदारान न तो वादी स्वयं है एवं न ही वादी के पिता या दादा है तथा न ही वादी द्वारा उनसे कोई संबंध होना साक्ष्य से साबित किया है। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अंकित करना कि मकना व पदमा के पिता सगे भाई एवं एक ही दादा के पौत्र व वंशज है। वादी के काकाई भाईयों के खेतों के संबंध में कोई विवाद हों, ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में नहीं हैं। हमारे विनम्र मत में पूर्णतया हास्यास्पद, विधिविरूद्ध व अस्वीकार्य है। वादी के पिता का नाम मकना है तथा वर्ष 2015 में कथित प्रविष्टि अनुसार मकना या मकना के पिता का कोई कब्जा काश्त या गैर बापीदार के रूप में अंकन नहीं हैं। पदमा का पृथक से अंकन है, जो वादी के पिता का भाई होने से वादी का इससे कोई संबंध नहीं माना जा सकता। हमारे विनम्र मत में वादग्रस्त आराजीयात पर संवत 2011 के पूर्व एवं पश्चात तथा वादी द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादपत्र वर्ष 2006 से ठीक पूर्व अर्थात वर्ष 2005 से पूर्व तक की अवधि के दौरान वादी या इनके पूर्वजों का कभी भी शिकमी या या खुदकाश्त या अन्य किसी भी रूप में भू–अभिलेख में अभिलिखित या अन्यथा ऐसा कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है, जिससे वादग्रस्त आराजीयात में अधिनियम की धारा 15 या 19 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार निहित हो चुके हैं तथा वह ऐसे अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी हों। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का अवलंब लिए बिना तथा विवेचन किए बिना एवं बिना किसी आधार व कारण के यांत्रिक रूप से वादी को खातेदार अभिधारी घोषित करवाने का अधिकारी मानते हुए उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित करने में कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं। लिहाजा, उक्त विवाद्यक बखूबी साबित नहीं होने से इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत को अपास्त करते हुए वादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने तथा काबिल अपास्त होने एवं दोनों अपील अपीलांट्स बखूबी साबित होने से दोनों अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 65/2023 बअनवान घेमा वगैरह बनाम मनजी वगैरह तथा द्वितीय पश्चातवर्ती अपील संख्या 20/2024 बअनवान तहसीलदार रानीवाड़ा बनाम मनजी अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2006 बअनवान मनजी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय से अपील संख्या 65/2023 के अपीलांट के पक्ष में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार के विशिष्ट हित या अधिकार सृजित या निहित नहीं होंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों। दोनों पत्रावलियों में मूल निर्णय की एक–एक प्रति शामिल पत्रावली की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली